**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या *163**
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

## स्व-सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सहायता

***163. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:**
**श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में स्व-सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोई योजना/कार्यक्रम/पहल शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, एलुरु और बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के लाभार्थियों का राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में स्व-सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का आंध्र प्रदेश के बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और नेल्लोर जिले सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने देश में स्व-सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या सरकार ने स्व-सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के लिए जागरुकता और सहायता बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया है/पहल की है और यदि हां, तो विशेषत: आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले और बापटला संसदीय क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास मंत्री**
**(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)**

(**क**) **से (ड.)**: विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

**'स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सहायता' के संबंध में श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी और श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *163 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

**(क) :** जी हां। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे जून 2011 में शुरू किया गया था। इसका कार्यान्वयन पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और समयावधि के साथ उनकी आय में पर्याप्त वृद्धि होने, उनके जीवन स्तर में सुधार होने तथा उनके घोर गरीबी से बाहर निकलने तक लगातार पोषित तथा सहायता करना है। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इस मिशन में चार मुख्य घटकों में निवेश करने का प्रावधान है। ये चार घटक हैं -(क) ग्रामीण गरीबों की स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थाओं का सामाजिक एकीकरण और संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण; (ख) ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन; (ग) टिकाऊ आजीविका; और (घ) सामाजिक समावेशन तथा सामाजिक विकास। अक्टूबर 2024 तक, यह कार्यक्रम 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 742 जिलों तथा 7138 ब्लॉकों में कार्यान्वित है। इसने देश भर में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.87 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है।

**(ख)** : पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। नेल्लोर, एलुरु और बापटला निर्वाचन क्षेत्र सहित जिला-वार विवरण https://nrlm.gov.in पोर्टल पर देखा जा सकता है।

**(ग) :** डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। केंद्रीय अंश की निधि राज्य सरकारों को जारी की जाती है न कि जिलों को।

**(घ) :** जी हां। सरकार ने डीएवाई-एनआरएलएम (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) और महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्य प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:

**I. स्वयं सहायता समूहों के लिए रियायती ऋण दरें:**

क. 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बैंक 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं।

ख. 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बैंक अपने 1-वर्षीय एमसीएलआर/बाहरी बेंचमार्क-आधारित ऋण दर या 10% प्रति वर्ष से कम हो दर पर ऋण प्रदान करते हैं।

**II. ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति:**

व्यक्तिगत महिला एसएचजी सदस्यों को 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वास्तविक ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है जो अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए है।

**III. महिला उद्यमियों के लिए ब्याज में छूट:**

ऋण का शीघ्र पुनर्भुगतान करने वाली महिला उद्यमी 3 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए 1.5 लाख रुपये तक की बकाया ऋण राशि पर 2% ब्याज अनुदान के लिए पात्र हैं।

**(ड.) :** डीएवाई-एनआरएलएम एसएचजी सदस्यों के लिए नियमित जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये कार्यकलाप विभिन्न पहलुओं पर एसएचजी, ग्राम संगठनों, क्लस्टर-स्तरीय संघों, उत्पादक समूहों (पीजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।

कार्यक्रम को और बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय जागरूकता बढ़ाने और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यनीतियों तथा राष्ट्रीय और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों द्वारा लक्षित अभियानों का उपयोग करता है। इसके अलावा, एसएचजी और महिला उद्यमियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनकी सहायता करने के लिए कुछ कार्यक्रम/कार्यकलाप **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं।

*****

*अनुलग्नक-I*

**'स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सहायता' के संबंध में श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी और श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *163 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**पिछले पांच वर्षों के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम के लाभार्थियों का विवरण**

| क्र.सं.. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | गठित परिवार | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0 | 1403 | 80538 | 627124 | 145926 |
| 2 | असम | 501094 | 110923 | 174081 | 394281 | 359590 |
| 3 | बिहार | 585428 | 1329612 | 259585 | 588507 | 513317 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 390075 | 193516 | 156283 | 521600 | 300282 |
| 5 | गुजरात | 141078 | 108095 | 17122 | 60834 | 108796 |
| 6 | झारखंड | 618857 | 162117 | 112927 | 116595 | 405281 |
| 7 | कर्नाटक | 400459 | 180416 | 272983 | 319306 | 1182372 |
| 8 | केरल | 41716 | 57182 | 122113 | 26496 | 484723 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 474646 | 440935 | 395000 | 1059588 | 667985 |
| 10 | महाराष्ट्र | 1638779 | 676534 | 391915 | 318408 | 579102 |
| 11 | ओडिशा | 628734 | 491828 | 336070 | 204003 | 309396 |
| 12 | राजस्थान | 656134 | 251636 | 470176 | 495142 | 943431 |
| 13 | तमिलनाडु | 140769 | 254393 | 174307 | 195938 | 405583 |
| 14 | तेलंगाना | 10 | 9740 | 108705 | 284731 | 134268 |
| 15 | उत्तर प्रदेश | 1480708 | 1147555 | 1859308 | 1204807 | 2074302 |
| 16 | पश्चिम बंगाल | 2451163 | 301278 | 739470 | 1035392 | 1272630 |
| 17 | हरियाणा | 139943 | 57136 | 56424 | 54891 | 40851 |
| 18 | हिमाचल प्रदेश | 23379 | 40074 | 72891 | 62156 | 43175 |
| 19 | जम्मू और कश्मीर | 36223 | 15152 | 104737 | 138103 | 161419 |
| 20 | पंजाब | 84211 | 75450 | 71912 | 79494 | 145837 |
| 21 | उत्तराखंड | 62910 | 18346 | 30052 | 119066 | 94769 |
| 22 | अरुणाचल प्रदेश | 5823 | 3166 | 8689 | 25838 | 22898 |
| 23 | मणिपुर | 4701 | 2702 | 13628 | 40626 | 19915 |
| 24 | मेघालय | 105562 | 80792 | 79250 | 38986 | 20255 |
| 25 | मिजोरम | 6853 | 7733 | 5548 | 7857 | 12181 |
| 26 | नागालैंड | 25383 | 23676 | 1486 | 9000 | 15759 |
| 27 | सिक्किम | 13049 | 9163 | 1440 | 2026 | 5231 |
| 28 | त्रिपुरा | 39648 | 121729 | 61373 | 105990 | 81220 |
| 29 | अंडमान और निकोबार | 1841 | 520 | 1041 | 1253 | 1622 |
| 30 | गोवा | 1852 | 6238 | 5476 | 3578 | 3396 |
| 31 | लद्दाख | 3092 | 0 | 71 | 707 | 7840 |
| 32 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 1850 | 171 | 622 |
| 33 | पुद्दुचेरी | 1657 | 2927 | 3889 | 8069 | 5614 |
| 34 | दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव | 357 | 303 | 1496 | 1923 | 3185 |
| | कुल | **10706134** | **6182270** | **6191836** | **8152486** | **10572773** |

*****

***<u>अनुलग्नक-II</u>***

**‘स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सहायता’ के संबंध में श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी और श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *163 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**<u>पिछले पांच वर्षों के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत आवंटित और जारी/उपयोग की गई निधि का विवरण</u>**

**(राशि लाख रुपये में)**

| | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य | आवंटन | जारी/उपयोग की गई | आवंटन | जारी/उपयोग की गई | आवंटन | जारी/उपयोग की गई | आवंटन | जारी/उपयोग की गई | आवंटन | जारी/उपयोग की गई |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 11924.13 | 16652.51 | 13447.79 | 20171.69 | 25166.83 | 12583.42 | 25172.97 | 18879.74 | 25172.97 | 6294.25 |
| 2 | बिहार | 48627.99 | 48627.97 | 54841.65 | 80863.18 | 102633.2 | 102633.2 | 102658.3 | 128322.9 | 102658.3 | 141155.1 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 10800.58 | 10763.97 | 12180.67 | 12180.67 | 22795.48 | 22795.48 | 22801.05 | 17100.79 | 22801.05 | 29580.59 |
| 4 | गोवा | 400 | 200 | 400 | 400 | 700 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5 | गुजरात | 7694.51 | 7694.51 | 8677.71 | 12795.16 | 16239.87 | 12068.42 | 16243.84 | 12182.88 | 16243.84 | 16243.84 |
| 6 | हरियाणा | 4526.82 | 3997.97 | 5105.26 | 5105.26 | 9554.21 | 2388.55 | 9556.55 | 4778.28 | 9556.55 | 4778.28 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 1906.41 | 1454.79 | 2150.01 | 1612.51 | 4023.63 | 4023.63 | 4024.62 | 4024.62 | 4024.62 | 5533.85 |
| 8 | जम्मू एवं कश्मीर | 2359.46 | 2299.09 | 2660.95 | 11527.18 | 14668.93 | 11001.7 | 18016.86 | 12783.94 | 18000 | 18000 |
| 9 | झारखंड | 18335.62 | 24828.75 | 20678.53 | 25808.53 | 38698.78 | 38698.78 | 38708.23 | 38708.23 | 38708.23 | 38708.23 |
| 10 | कर्नाटक | 15436.13 | 9571.5 | 17408.55 | 25664.59 | 32579.18 | 24434.39 | 32587.14 | 24440.36 | 32587.14 | 32587.14 |
| 11 | केरल | 6926.15 | 3463.08 | 7811.16 | 7811.16 | 14618.18 | 7309.1 | 14621.75 | 10966.32 | 14621.75 | 10966.32 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 23237.89 | 23237.89 | 26094.44 | 19570.83 | 48834.35 | 24417.18 | 48846.28 | 48846.28 | 48846.28 | 24423.14 |
| 13 | महाराष्ट्र | 30513.46 | 30513.46 | 34412.45 | 17206.23 | 51618.68 | 25809.34 | 64401.08 | 48300.81 | 64416.79 | 88573.08 |
| 14 | ओडिशा | 23380.72 | 30686.99 | 26368.3 | 38907.04 | 49346.87 | 61683.59 | 49358.92 | 61698.65 | 49358.92 | 67868.51 |
| 15 | पंजाब | 2199.98 | 1099.99 | 2481.1 | 1860.83 | 4643.24 | 2321.62 | 4644.38 | 3483.28 | 4644.38 | 4254 |
| 16 | राजस्थान | 11721.17 | 8587.33 | 13218.89 | 13218.89 | 24738.45 | 24738.45 | 24744.5 | 34023.68 | 24744.5 | 24744.5 |
| 17 | तमिलनाडु | 18074.67 | 23260.01 | 20384.24 | 28924.96 | 38148.01 | 38148.01 | 38157.33 | 38157.33 | 38157.33 | 28618 |
| 18 | तेलंगाना | 8517.24 | 6525.19 | 9605.57 | 9605.57 | 17976.3 | 4494.08 | 17980.69 | 4495.18 | 17980.69 | 0 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 70008.07 | 51115.11 | 78953.66 | 78856.92 | 147757.6 | 147566.4 | 147793.7 | 110845.3 | 147793.7 | 147793.7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | उत्तराखंड | 3685.97 | 4643.32 | 4156.96 | 4618.84 | 7779.53 | 7620.73 | 7781.43 | 10699.47 | 7781.43 | 10699.47 |
| **21** | पश्चिम बंगाल | 25983.03 | 31911.65 | 29303.11 | 29303.11 | 54839.23 | 41129.43 | 54852.58 | 54852.59 | 54852.58 | 65716.38 |
| **22** | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 | 450 | 900 | 449.9 | 600 | 600 |
| **23** | दमन और दीव व दादरा नगर हवेली | 400 | 100 | 600 | 200 | 400 | 100 | 600.25 | 300.14 | 450 | 337.5 |
| **24** | लक्षद्वीप | 200 | 0 | 200 | | 200 | 100 | 238.95 | 119.43 | 300 | 150 |
| **25** | लद्दाख | | | | 200 | 1320 | 330 | 1319.2 | 659.6 | 1000 | 1000 |
| **26** | पुद्दुचेरी | 600 | 558.13 | 700 | 700 | 1000 | 500 | 1700 | 1275 | 1700 | 1700 |
| **27** | अरुणाचल प्रदेश | 5597.11 | 5181.12 | 7601.95 | 5218.39 | 8289.42 | 4144.71 | 13225.95 | 9919.47 | 12775.5 | 12775.5 |
| **28** | असम | 20781.78 | 24015.56 | 21687.67 | 26004.66 | 34298.66 | 34298.66 | 38136.28 | 38136.28 | 39843.04 | 39843.04 |
| **29** | मणिपुर | 5447.25 | 2723.63 | 5609.34 | 2804.67 | 10273.53 | 2568.38 | 12538.3 | 3134.58 | 10523.46 | 5261.73 |
| **30** | मेघालय | 8710.17 | 6295.4 | 11729.19 | 11729.2 | 14375.43 | 7187.72 | 16928.17 | 16928.19 | 19976.24 | 27467.33 |
| **31** | मिजोरम | 9588.2 | 7343.47 | 10004.73 | 5002.37 | 10540.55 | 2635.14 | 15671.94 | 3917.99 | 16396.02 | 6386.94 |
| **32** | नागालैंड | 12853.08 | 9736.11 | 13544.04 | 6772.02 | 17118.28 | 4279.57 | 17793.9 | 8896.95 | 16428.04 | 12321.03 |
| **33** | सिक्किम | 2948.06 | 1092.34 | 3922.88 | 980.72 | 4431.85 | 1079.84 | 6648.53 | 1662.13 | 7331.71 | 1832.93 |
| **34** | त्रिपुरा | 15705.14 | 10434.88 | 16405.2 | 16405.2 | 17364.21 | 8682.11 | 24162.21 | 12081.11 | 30534.78 | 30534.78 |
| | कुल योग | **429291** | **408816** | **482646** | **522330** | **847572** | **682572** | **893566** | **785821** | **901560** | **907499** |

**अनुलग्नक -III**

**‘स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सहायता’ के संबंध में श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी और श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *163 के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**<u>जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों/कार्यकलापों का विवरण</u>**

| क्र.सं. | **(क) कार्यशालाएं** |
|---|---|
| 1 | नई दिल्ली में "डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला उद्यमों को सशक्त बनाने और सदस्यों को संगठित करने" पर राष्ट्रीय अभियान |
| 2 | नई दिल्ली में "मोरिंगा उप-क्षेत्र" पर राष्ट्रीय परामर्श |
| 3 | नई दिल्ली में "एकीकृत फसल प्रबंधन" पर राष्ट्रीय अभियान |
| 4 | केरल में एकीकृत कृषि क्लस्टर (आईएफसी) के लिए उन्मुखीकरण- सह- व्यवसाय योजना सुविधा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम |
| 5 | वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आजीविका पर राष्ट्रीय सम्मेलन "आजीविका समागम" |
| 6 | बेंगलुरु, कर्नाटक में "ग्रामीण महिला उद्यमियों के पोषण " पर राष्ट्रीय सम्मेलन |
| 7 | नई दिल्ली में "बीज उपचार: पहले दिन से फसलों की सुरक्षा" पर अभियान |
| 8 | तमिलनाडु के पेरियाकुलम में "मोरिंगा के संवर्धन" पर राष्ट्रीय कार्यशाला |
| | **(ख) वेबिनार** |
| 1 | नई दिल्ली में "सूअर पालन" पर वेबिनार |
| 2 | नई दिल्ली में "जलवायु परिवर्तन और जलवायु अनुकूलन तथा ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव" पर वेबिनार |
| 3 | नई दिल्ली में "जैव संसाधन केंद्र" पर वेबिनार |
| 4 | नई दिल्ली में डीएवाई-एनआरएलएम बांस उप क्षेत्र के अंतर्गत "बांस रोपण और अंतरफसल" पर तकनीकी वेबिनार |
| 5 | नई दिल्ली में "बांस उप क्षेत्र पर नर्सरी प्रबंधन" पर तकनीकी वेबिनार |
| 6 | नई दिल्ली में "पशुपालन विभाग की योजनाएं और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है" पर वेबिनार |
| 7 | नई दिल्ली में नई योजना प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम एमकेएसएसवाई) के साथ मत्स्य विभाग के साथ अभिसरण बैठक पर वेबिनार |
| 8 | नई दिल्ली में "मवेशी चारा" पर वेबिनार |
| 9 | नई दिल्ली में "कस्टम हायरिंग सेंटर" पर वेबिनार |
| 10 | नई दिल्ली में "कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत उत्पादक कंपनियों के लिए वार्षिक अनुपालन" पर वेबिनार |
| 11 | नई दिल्ली में "स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा समुद्री शैवाल की खेती: अवसर और चुनौतियां" पर वेबिनार |
| 12 | नई दिल्ली में " डायरेक्ट सिडेड राइस (डीएसआर)" पर वेबिनार |
| 13 | नई दिल्ली में " पशु पालन और डेयरी फार्मिंग" पर वेबिनार |

*****